UPJB010055862025

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं0–1 , अमरोहा।

उपस्थितः श्री शाकिर हसन.....(उच्चतर न्यायिक सेवा)

सिविल विविध वाद सं0–107 / 2025

1–मधु शर्मा पत्नी पुनीत कुमार पुत्री श्री खेमचन्द शर्मा निवासनी झरोड़ा माजरा झरोड़ा बुरारी नार्थ दिल्ली।
2–मजहर हैदर पुत्र इकबाल निवासी गुला तालाब कस्बा व तहसील नौगांवा सादात जिला अमरोहा।

.....प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

बनाम

1– दिलदार अहमद पुत्र श्री अमीरूल्ला निवासी नई बस्ती नौगांवा सादात तहसील नौगांवा सादात जिला अमरोहा।

.....विपक्षी / वादी

2–जैबुन निशा पत्नी अलाउददीन
3–मौ0 अकरम पुत्र अलाउददीन
4–मौ0 अकमल पुत्र अलाउददीन
5–सरदार अहमद पुत्र अमीरूल्ला
निवासीगण नई बस्ती नौगांवा सादात तहसील नौगांवा सादात जिला अमरोहा।

.....विपक्षीगण / प्रतिवादीतगण तरतीबी

01.07.2026

————:–पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र 3ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

2– प्रार्थना पत्र 3ग प्रार्थीगण की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कथन किया गया है कि मूलवाद सं0–180 / 2023 दिलदार अहमद बनाम मधु शर्मा मा० अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) अमरोहा द्वारा आंशिक रूप से दिनांक–07.08.2025 आज्ञप्त कर दिया। प्रार्थीगण उपरोक्त मूलवाद सं0–180 / 2023 में प्रतिवादीगण असल सं0–1 व 2 थे। प्रार्थीगण को मूलवाद सं0–180 / 2023 मे पारित निर्णय दिनांकित 07.08.2025 के विरूद्ध दिनांक 06.09.2025 तक

Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.07.01 17:13:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिविल अपील माननीय न्यायालय मे योजित करनी थी। प्रार्थनी सं0–1 गर्भवती थी दिनांक–22.09.2025 को आपरेशन द्वारा उसके पुत्र का जन्म हुआ और वह दिल्ली में निवास करती है। उसे डॉक्टर ने लम्बा सफर करने से मना किया हुआ है एवं प्रार्थी सं0–2 बूढ़ा व्यक्ति है और बुढापे के कारण बीमार चल रहा है उसे चलने फिरने मे अत्याधिक असुविधा हो रही है। इस कारण प्रार्थीगण मूलवाद सं0–180/2023 मे पारित निर्णय दिनांकित 07.08.2025 के सम्बन्ध मे समय सीमा में सिविल अपील दायर नही कर पायें। दिनाक–07.09.2024 से दिनांक 30.09.2025 तक प्रार्थीगण सिविल अपील दाखिल कराने हेतु माननीय न्यायालय न आ सके। यदि माननीय न्यायालय की दृष्टि में प्रार्थीगण ने समय सीमा मे सिविल अपील दाखिल करने में जो गलती की है उस गलती का क्षमा किया जाना एवं सिविल अपील दाखिल करने में जो विलम्ब हुआ है उसका क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मूलवाद सं0–180/2023 में पारित आदेश दिनांकित 07.08.2025 के सम्बन्ध मे दाखिल सिविल अपील का गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किया जाना आवश्यक है। अतः याचना की है कि न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) अमरोहा द्वारा मूलवाद सं0–180/2023 दिलदार अहमद बनाम मधु शर्मा आदि में पारित आदेश दिनाकित–07.08.2025 के सम्बन्ध में सिविल अपील दायर करने में जो विलम्ब दिनांक–07.09.2025 से दिनांक 01.10.2025 तक हुआ है उसे माफ किया जाए। समर्थन में शपथपत्र 4ग दाखिल किया गया है।

3– विपक्षीगण की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से दिया गया है तथा विलम्ब को समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

4– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र का0सं0 3 ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थी की ओर से प्रस्तावित अपील योजित करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने के उददेश्य से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मूलवाद सं0–180/2023 दिलदार अहमद बनाम मधु शर्मा मा० अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) अमरोहा द्वारा आंशिक रूप से दिनांक–07.08.2025 आज्ञप्त कर दिया। प्रार्थीगण उपरोक्त मूलवाद सं0–180/2023 में प्रतिवादीगण असल सं0–1 व

2 थे। प्रार्थीगण को मूलवाद सं0–180/2023 मे पारित निर्णय दिनांकित 07.08.2025 के विरूद्ध दिनांक 06.09.2025 तक सिविल अपील माननीय न्यायालय मे योजित करनी थी। प्रार्थनी सं0–1 गर्भवती थी दिनांक–22.09.2025 को आपरेशन द्वारा उसके पुत्र का जन्म हुआ और वह दिल्ली में निवास करती है। उसे डॉक्टर ने लम्बा सफर करने से मना किया हुआ है एवं प्रार्थी सं0–2 बूढ़ा व्यक्ति है और बुढापे के कारण बीमार चल रहा है उसे चलने फिरने मे अत्याधिक असुविधा हो रही है। इस कारण प्रार्थीगण मूलवाद सं0–180/2023 मे पारित निर्णय दिनांकित 07.08.2025 के सम्बन्ध मे समय सीमा में सिविल अपील दायर नही कर पायें। न्यायालय की दृष्टि में प्रार्थीगण ने समय सीमा मे सिविल अपील दाखिल करने में जो गलती की है उस गलती का क्षमा किया जाना एवं सिविल अपील दाखिल करने में जो विलम्ब हुआ है उसे क्षमा किया जाए जिससे सिविल अपील का गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किया जा सके। उक्त तथ्य शपथपत्र से समर्थित है जिसका युक्तियुक्त प्रकार से शपथपत्र द्वारा खण्डन विपक्षी ने नहीं किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अपील योजित करने में मात्र 25 दिन का विलम्ब हुआ है।

6– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम गौरी शंकर 1992 ए0एल0जे0 606 (All-D.B.)** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करते समय न्यायालय को तकनीकी आधार पर पक्षगण के लिए न्याय के दरवाजे बन्द नहीं करने चाहिए, अपितु मामले को गुणदोष के आधार पर निस्तारित करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

7– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभा बनाम रामप्रकाश कालरा 1987 ए0सी0सी0 338** में इस आशय की विधि व्यवस्था दी है कि विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

स्टेट आफ यू0पी0 बनाम ओमप्रकाश शर्मा 1999 (36) ए0एल0आर0 321 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया है कि परिसीमा अधिनियम के नियम किसी भी पक्ष का अहित करने के उददेश्य से नहीं बनाये गये है। न्यायालय को यह दृष्टिगत रखना चाहिए कि विलम्ब को क्षमा नहीं करने से कोई पक्षकार अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने से वंचित तो नहीं होता है।

ननकू बनाम जनारदन प्रसाद अशोक कुमार 2003 (52) ए0एल0आर0 656 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में न्यायालय को उदारवादी रूख अपनाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय से **एन0बालाकृष्ण बनाम एम0 कृष्णमूर्ति 1998 एस0सी0सी0 133** में इस आशय की विधि व्यवस्था दी है कि न्यायालय का प्रारम्भिक कार्य सारवान न्याय हेतु पक्षों के मध्य विवाद का निपटारा होता है। परिसीमा का नियम पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट करने का नहीं होता है, बल्कि यह देखने का होता है कि पक्षकार विलम्बकारी टैक्ट अपनाने का प्रयास न करे, बल्कि समय के अन्तर्गत उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय में उपस्थित हो। परिसीमा विधि लोक नीति पर आधारित होती है।

8— न्याय का यह सिद्धान्त है कि तकनीकी आधार पर किसी को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए। प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र में अपील को विलम्ब से योजित करने के सम्बन्ध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है तथा उक्त के सम्बन्ध में शपथपत्र भी दाखिल किया गया है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दिये गये अभिमत के प्रकाश में न्यायहित में प्रार्थना पत्र 3ग अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मुब0500/—रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अविलम्ब अदा किया जाए।

प्रार्थीगण द्वारा सिविल अपील को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पक्षकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 28.07.2026 को उपस्थित होवे।

(शाकिर हसन)
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं0—1
अमरोहा।
आई0डी0 नं0 यू0पी0—2416
01.07.2026